प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'सत्तर'

प्रश्न सं. [क्र. 5847]

[27/3/2018]

अनुसूची क्रमांक 4

मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कार्यवाही एवं शिक्षक वर्ग शिक्षा सेवा महाविद्यालयीन शाखा के भरती तथा पदोन्नति नियम के प्रावधान 12 के अन्तर्गत

विभाग का नाम	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाती है	संघ सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हतायें एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शिक्षा विभाग अमहाविद्यालयीन				
	1. सहायक जिला शाला निरीक्षक, प्रधान अध्यापक, माध्यमिक शालायें [1][xxx]	व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/ बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ पूर्व प्राथमिक प्रशिक्षण संस्था एवं संस्कृत विद्यालय	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं पाँच वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य का अनुभव	1. संचालक लोक शिक्षण द्वारा मनोनीत अधिकारी-अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक-सदस्य 3. प्राचार्य, शिक्षा महाविद्यालय या समकक्ष संस्था के प्रधान- सदस्य 4. उप संचालक (नियुक्ति सदस्य) सचिव
	2. प्रधानाचार्य प्राथमिक शाला [2][उच्च श्रेणी शिक्षक/शिक्षक/ निर्देशक शिक्षा महाविद्यालय]	प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय [1][xxx]	1. स्नातक उपाधि तथा शिक्षक प्रशिक्षण/5 वर्ष का शिक्षण अनुभव 2.5 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्र में कार्य का अनुभव	1. संबंधित संभागीय शिक्षण अधीक्षक द्वारा मनोनीत अधिकारी — अध्यक्ष 2. एक प्राचार्य, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय- सदस्य [3][3. संबंधित सहायक संचालक - सदस्य सचिव]

1. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 2-8-1991 द्वारा विलोपित।
2. म.प्र. राजपत्र भाग 4 (ग), दिनांक 2-8-1991 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना क्र. एफ. 1-105-99-बीस-1, दिनांक 25-5-2000 द्वारा प्रतिस्थापित।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	[2][(2-क) सहायक शिक्षक	उच्च श्रेणी शिक्षक (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा).	गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह में स्नातक तथा शिक्षक प्रशिक्षण एवं पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव	[1][4 विलोपित] 1. कलेक्टर अथवा कलेक्टर द्वारा नाम-निर्दिष्ट अधिकारी-अध्यक्ष 2. जिला शिक्षा अधिकारी-सदस्य 3. सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी-सदस्य सचिव 4. प्राचार्य, उ.मा.वि. सदस्य]

टीप- [3][(1)] चौधरी वेतनमान में तारीख 1 अप्रैल, 1981 से प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय और सहायक जिला शाला निरीक्षक के वेतनमानों के उन्नयन के कारण ऐसे वरिष्ठ उच्च श्रेणी शिक्षकों को, जो उक्त पदों पर कार्यरत हैं। उपर्युक्त तारीख से इस वेतनमान का लाभ प्राप्त होगा, किन्तु उन वरिष्ठ उच्च श्रेणी शिक्षकों को, जो उक्त तारीख के पश्चात् पदस्थ हुए हों, वरिष्ठता दी जायेगी और उनका काल्पनिक (नोशनल) वेतन निर्धारण तारीख 1 अप्रैल, 1981 से किया जायेगा। उक्त पदों पर कार्यरत कनिष्ठ व्यक्ति प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/सहायक जिला शाला निरीक्षक के वेतनमान के हकदार नहीं होंगे और उन्हें समस्त प्रयोजनों के लिये उच्च श्रेणी शिक्षक समझा जायेगा और उनका वेतन उच्च श्रेणी शिक्षक के वेतनमान रु. 740-1250 (चौधरी वेतनमान) में निर्धारित किया जाएगा। उक्त रीति से चौधरी वेतनमान में वेतन निर्धारण के ठीक पश्चात् उच्च श्रेणी शिक्षकों में से प्राधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय तथा व्याख्याता, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति ऊपर संशोधित किए गए नियमों के अनुसार की जायेगी।

[4][(2) सहायक शिक्षकों की पदक्रम सूची जिला स्तर पर विषय समूहवार रूप में- गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत एवं उर्दू) विषय समूह अनुसार पृथक से तथा सहायक शिक्षकों की एक समेकित पदक्रम सूची के साथ पृथक्-पृथक् संधारित की जाएगी शिक्षक के पद पर इस पदक्रम सूची का उपयोग विषय समूहवार पदोन्नति हेतु किया जाएगा।

(3) जिला एवं राज्य स्तर पर शिक्षक संवर्ग की समेकित पदक्रम सूची सहायक शिक्षक के पद पर वरिष्ठता के अनुसार संधारित की जाएगी।]

1. अधिसूचना क्र. एफ. 1-105-99-बीस-1, दिनांक 25-5-2000 द्वारा विलोपित।
2. म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1, दिनांक 3-8-2012 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1, दिनांक 3-8-2012 द्वारा पुनः क्रमांकित।
4. म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग क्र. एफ 1-32-2010-बीस-1, दिनांक 3-8-2012 द्वारा अंतःस्थापित।

परि-30 (ब) अतारां-5847

अनुभाग अधिकारी मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग (माध्यमिक) मंत्रालय, भोपाल-3